# थायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 45 / 2019

**वादीगण** **बनाम** **प्रतिवादीगण**

| | |
|---|---|
| दाना पुत्र रता व अन्य | माना पुत्र नाथा व अन्य |

## राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

**उपस्थिति—**

1. श्री डालूराम चौधरी, अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री मूलाराम प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।
3. पैरोकार सरकार उप.। शेष अनुपस्थित।

## निर्णय

दिनांक— 22.04.2025

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा गिरली कितपाल के खसरा संख्या 64 रकबा 127.00 बीघा, खसरा नम्बर 99 रकबा 72.03 बीघा व खसरा नम्बर 100 रकबा 54.06 बीघा कुल रकबा 253.09 बीघा का वादी दाना मोहन पि० रता तथा प्रतिवादीगण माना मूला पि० नाथा, नाथी पत्नी नाथा, गुणेशा कुंभा पि० सवा के मध्य आपकी रिर्पोट कमांक 1378 दिनांक 16.05.2013 अनुसार बंटवाडा किये जाने के आदेश व डिकी दिनांक 14.06.2013 पारित की गई थी। जिसके विरूद्ध प्रतिवादी माना द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपील दिनांक 13.07.2015 को स्वीकार कर इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की कि खसरा नम्बर 99 [illegible] उभय पक्ष के बराबर हिस्से नहीं है एवं इनमें अवस्थित आंशिक धोरें तथा भूमि के उपजाऊपन [illegible] आधार पर बराबर का हिस्सा नहीं हुआ है। अतः खसरा 99 व 100 में उभय पक्षकारान [illegible] भूमि के उपजाऊपन का ध्यान रखा जाकर विभाजन किया जावे। अतः पक्षकारान की उपस्थिति [illegible] में विभाजन प्रस्ताव तैयार करनें से पूर्व विभाजन प्रस्ताव तैयार करनें की एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर सम्बन्धित पक्षकारों को जरियें नोटिस/पत्र सूचना दी जावें। तत्पश्चात दोनो पक्षों की उपस्थिति में आप स्वंय मौके पर जाकर विवादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:15:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

(खण्डल) नियम 18 से 21 में दियें गयें प्रावधानों के अनुरूप विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। जिसकी पालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीनी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया। प्रतिवादीगण गुणेशाराम व मूलाराम द्वारा मौके उपस्थित होने के बावजूद भी हस्ताक्षर करने से इंकार किया।

विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रतिवादी मूलाराम द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि न्यायालय श्री द्वारा जारी प्रा० डि० तैयार करते समय खसरा संख्या 99 व 100 मोजा गिरली कितपाल की उपजाउपन व सड़क तथा पानी के नाले को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद होने से इस विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जावे। अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए राजस्व टीम गठित करते हुए पुनः प्राथमिक डिकी की पालना में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे।

प्रतिवादी वकील की बहस के तथ्यों का वादी वकील खण्डन करते हुए अपनी बहस एवं दलील के तथ्यों में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व में पारित आदेश के विरूद्ध माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में पक्षकारान के कब्जे काश्त भूमि के उपजाउपन एवं उसकी गुणवता तथा आवागमन हो ध्यान में रखते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के रूबरू मौके पर तैयार किया गया। प्रतिवादी स्वयं मौके पर उपस्थित होने के बावजूद भी उन्होने मौका फर्द पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया है। प्रतिवादीगण वादीगण को नाहक परेशान करने की बदनियती से वाद की कार्यवाही को अनावश्यक लम्बा करना चाहते है। अतः उेसी स्थिति में प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिकी जारी की जावे।

हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसके अनुसार पाया गया कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा गिरली कितपाल के खसरा संख्या 64 रकबा 127.00 बीघा, खसरा नम्बर 99 रकबा 72.03 बीघा व खसरा नम्बर 100 रकबा 54.06 बीघा कुल रकबा 253.09 बीघा का वादी दाना मोहन पि० रता तथा प्रतिवादीगण माना मूला पि० नाथा, नाथी पत्नी नाथा, गुणेशा कुंभा पि० सवा के मध्य आपकी रिर्पोट कमांक 1378 दिनांक 16.05.2013 अनुसार बंटवाडा किये जाने के आदेश व डिकी दिनांक 14.06.2013 पारित की गई थी। जिसके विरूद्ध प्रतिवादी माना द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपील दिनांक 13.07.2015 को स्वीकार कर इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की कि खसरा नम्बर 99 एव 100 में उभय पक्ष के बराबर हिस्से नहीं है एवं इनमें अवस्थित आंशिक धोरे तथा भूमि के उपजाऊपन के आधार पर बराबर का हिस्सा नहीं हुआ है। अतः खसरा 99 व 100 में उभय पक्षकारों के बीच भूमि के उपजाऊपन का ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा भी प्रा.डि. के जरिये बाइ मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव पुनः तलब किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:15:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक प्रशासक
SDO सिणधरी

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट है कि वाद का मुख्य कारक सहखातेदारी के खेत के विभाजन को लेकर है, जिसके मौके पर उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका नक्शा कब्जा काश्त अनुसार तैयार किया गया, मौका फर्द के सलंग्न विभाजन नक्शा के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य आवागमन हेतु सड़क मार्ग की सीमा प्रत्येक थौक के खेत से लगती हुई है। इस प्रकार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के दौरान दिये जाने से प्रतिवादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये दी गई दलील के तथ्य इस वाद के निपटारे में लागू नहीं होते है।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा– गिरली कितपाल पटवार मण्डल डण्डाली के खसरा संख्या 195/64,100,64,99,184/99,185/100, 196/64,183/64 व 194/64 कुल रकबा 41.0084 हैक्टेयर के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य मौका एवं रेकर्ड (बाइ मिट्स एण्ड बाउण्डस ) निम्न प्रकार किया जाता है।

| क्र. सं. | नाम खातेदार | ग्राम | खसरा नं. | रकबा हैक्टेयर | किस्म | लगान | बरंग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मानाराम पुत्र नाथाराम 1/6<br>मूलाराम पुत्र नाथाराम 1/6<br>अणसीदेवी पत्नि नाथाराम 1/6<br>गुणेशाराम पुत्र सवाराम 1/4<br>कुम्भाराम पुत्र सवाराम 1/4<br>जाति मेघवाल सा. देह खातेदार | गिरली कितपाल | 64<br>196/64<br>99<br>100<br>185/100 | 9.8860<br>0.3883<br>1.4440<br>4.3929<br>4.3929 | बा.दों.<br>बा.दों.<br>बा.दों.<br>बा.दों.<br>बा.दों. | 1.39<br>0.06<br>0.20<br>0.62<br>0.62 | लाल |
| 2 | दानाराम पुत्र रताराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार | गिरली कितपाल | 64<br>183/64<br>194/64<br>195/64 | 0.2883<br>3.0742<br>1.3649<br>0.4098 | बा.दों.<br>बा.दों.<br>बा.दों.<br>बा.दों. | 0.04<br>0.43<br>0.19<br>0.06 | हरा |
| 3 | मोहनराम पुत्र रताराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार | गिरली कितपाल | 64<br>194/64<br>195/64<br>196/64 | 0.1000<br>0.2127<br>4.2420<br>0.5825 | बा.दों.<br>बा.दों.<br>बा.दों.<br>बा.दों. | 0.01<br>0.03<br>0.59<br>0.08 | नीला |
| 4 | दानाराम पुत्र रताराम 1/2<br>मोहनराम पुत्र रताराम 1/2<br>जाति मेघवाल सा. देह खातेदार | गिरली कितपाल | 99<br>184/99 | 4.3970<br>5.8329 | बा.दों.<br>बा.दों. | 0.62<br>0.82 | पीला |

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस [illegible] अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:15:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

## मूल वाद मे डिक्री

**(आदेश 20 के नियम 6 और 7)**

### न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

पीठासीन अधिकारी:— श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस.

उनवान

**वादीगण** **बनाम** **प्रतिवादीगण**

दाना पुत्र रता व अन्य — माना पुत्र नाथा व अन्य

दावा बाबतः— 53,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर :— 45/2019
निर्णय दिनांक :— 22.04..2025

वादी की ओर से **श्री डालूराम चौधरी** अधिवक्ता, तथा राज. पैरोकर की उपस्थिति एवं शेष की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.04.2025 को **श्री जगदीशसिंह आशिया** (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि:—** वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 22.04.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 22.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

**उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन**
**सहायक कलक्टर,सिणधरी**

### वाद के खर्चे

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---|---|---|---|
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प<br>2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प<br>4..........रूपये पर प्लीडर की फीस<br>5.साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय<br>6.कमिश्नर की फीस<br>7.आदेशिका की तामिल | | 1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>2.[illegible]<br>3.प्लीडर की फीस<br>4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय<br>5.आदेशिका की तामिल<br>6.कमिश्नर की फीस | |
| जोड़ | | जोड़ | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:15:47 IST
Reason: SelfAttested